कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : EA/79 दिनांक : 14-04-2020

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XV/43/2020/2602 दिनांक 29.03.2020 के द्वारा पारित किए गए निर्देश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक प्रभावी घोषित किए गए हैं। ऐसी अवस्था में Under Trial Prisoners की जे.सी. रिमाण्ड में जो तारीख पेशियां दिनांक 29.04.2020 तक नियत हैं, जिनको उन पेशियों में पेश करने के बजाय एडवान्स में स्पेशल ड्यूटी ज्यूडीशियल ऑफिसर जिसके द्वारा आवश्यक कार्य किया जा रहा है, के समक्ष जे.सी. रिमाण्ड बढ़ाए जाने हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त आदेश की पालना में कोटा मुख्यालय से सम्बन्धित Under Trial Prisoners जिनकी पेशियां दिनांक 15.04.2020 से 29.04.2020 तक पूर्व में न्यायालयों में पेश करने हेतु नियत हैं, उन प्रकरणों से सम्बन्धित जे.सी. वारण्ट्स को कल दिनांक 15.04.2020 को सम्बन्धित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष जिनको कि आवश्यक न्यायिक कार्य हेतु अधिकृत किया गया है, उनके समक्ष जे.सी. वारण्ट पेश किया जाकर जे.सी. रिमाण्ड अवधि बढ़ाया जावे। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायिक अधिकारी को विशिष्ट न्यायालयों तथा सेशन न्यायालयों से सम्बन्धित अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है जो अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए ही न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाएंगे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिनको कि आवश्यक न्यायिक कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों से सम्बन्धित अभियुक्तगण की जे.सी. अवधि को आगामी पेशी के लिए बढ़ाएंगे जो भी अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए जे.सी. रिमाण्ड बढ़ाने में सक्षम होंगे।

रामगंजमण्डी मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी को प्रति कार्य दिवस पर 2 पी.एम. से 4 पी.एम. तक उनके न्यायालय से सम्बन्धित आवश्यक न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया है, वे अपने न्यायालय से सम्बन्धित अभियुक्तगण की जे.सी. अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम हैं जिनको दिनांक 15.04.2020 से 29.04.2020 तक के जे.सी. रिमाण्ड्स में जे.सी. अवधि कल दिनांक 15.04.2020 को ही बढ़ाने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा अन्य तीन न्यायालयों से सम्बन्धित अभियुक्तगण की जे.सी. अवधि बढ़ाने के लिए सम्बन्धित ड्यूटी मजिस्ट्रेट सक्षम होंगे जो भी दिनांक 15.04.2020 से 29.04.2020 तक के जे.सी. रिमाण्ड्स पर कल दिनांक 15.04.2020 को ही अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए ही न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाएंगे।

14/4/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राजस्थान)

सांगोद, कनवास, दीगोद व इटावा पर स्थित न्यायालयों से सम्बन्धित दिनांक 15.04.2020 से 29.04.2020 तक के जे.सी. रिमाण्ड्स पर कल दिनांक 15.04.2020 को ही अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाने हेतु सम्बन्धित ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को अधिकृत किया जाता है।

सम्बन्धित ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हिदायत दी जाती है कि वे सम्बन्धित जेलों में जिन–जिन प्रकरणों में जे.सी. में अभियुक्तगण चल रहे हैं, से टेलीफोनिक सम्पर्क कर जे.सी. वारण्ट मंगवाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जे.सी. रिमाण्ड अवधि बढ़ाएंगे। इस सम्बन्ध में स्थापना शाखा जिला न्यायालय कोटा को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे भी सम्बन्धित जेलों से टोलीफोन के माध्यम से सम्पर्क करें और उन्हें हिदायत दें कि दिनांक 15.04.2020 से 29.04.2020 तक के जो भी जे.सी. वारण्ट उनके जेल में हैं, उन जे. सी. वारण्ट्स को कल दिनांक 15.04.2020 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष जे.सी. रिमाण्ड अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर जे.सी. रिमाण्ड अवधि बढ़वाएं, ताकि प्रतिदिन जे.सी. वारण्ट लेकर न आना पड़े। किसी प्रकार की असुविधा होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा से सम्पर्क करने की हिदायत जेल अधिकारियों को दी जावे।

14/4/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, कोटा न्यायक्षेत्र
2. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय कारागृह, कोटा/उपकारागृह रामगंजमण्डी/सांगोद को भेजकर लेख है कि कोटा न्यायक्षेत्र से सम्बन्धित जे.सी. के कैदियों से सम्बन्धित जे.सी. वारण्ट सम्बन्धित न्यायालय में कल दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 29.04.2020 तक के जे.सी. वारण्ट कल दिनांक 15.04.2020 को सम्बन्धित ड्यूटी अधिकारीगण के समक्ष पेश करवाना सुनिश्चित करें और किसी प्रकार की असुविधा होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा से इस सम्बन्ध में टेलीफोन के माध्यम से सम्पर्क करें। यदि अन्य जेलों में कैदी ट्रान्सफर किए गए हैं तो उनसे भी जे.सी. वारण्ट मंगवाए जाकर जे.सी. अवधि कल दिनांक 15.04.2020 को ही बढ़वाना सुनिश्चित करें।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, कोटा को जिला न्यायालय की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु

14/4/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राजस्थान)